उसे स्थापित किया गया था। लेकिन हम बहुत ही चुस्ती से कोशिश कर रहे हैं कि मार्केटिंग डिसीप्लीन गाइडलाइंस को ज्यादा सशक्त बनाएं और अनुशासन को बढ़ाएं।

SHRI N. JOTHI: He is suddenly switching over to Hindi because we cannot ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Translation is there ...(*Interruptions*)...

SHRI N. JOTHI: Why is he suddenly switching over to Hindi? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is giving reply to Shri Kalraj Mishra's question. The question was put in Hindi. He knows Hindi, so, he is replying in Hindi.

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, वर्मा जी कृपया अपना सुझाव दोहरा दें।

श्री उपसभापति: उन्होंने डीजल और केरोसिन की प्राइस में अंतर के बारे में पूछा था।

श्री मणि शंकर अय्यर: सॉरी, मुझे याद आया। माननीय वर्मा जी का जो सुझाव था उसे हम रंगराजन कमेटी तक पहुंचाएंगे। वह उस पर विचार करेंगे। मैं वर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि आप भी इस बारे में जरा तफसील से लिखकर डा॰ रंगराजन जी को भेजें तो वह उस पर विचार करेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Calling Attention is over. Now, we will take up the Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2005 and the State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Bill, 2005. The Minister to move.

SHRI N. JOTHI: Sir, I have one genuine question. ...(*Interruptions*)... Only one genuine question, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, that is over

GOVERNMENT BILLS—Contd.

The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2005

And

The State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Bill, 2005

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिक राव गावित): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

> "कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोकसभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

श्री उपसभापति: दोनों कर दीजिए। दूसरा स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया बिल, 2005 भी प्रस्तुत कर दीजिए।

श्री माणिक राव गावित: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

> "कि वृत्तिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भारत के राज्य संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर, लोकसभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

श्री उपसभापति: आप इन्हें एक्सप्लेन करेंगे?

श्री माणिक राव गावित: जी हां, मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

महोदय, राष्ट्रीय प्रतीकों को जलाने, कुचलने अथवा विकृत करने के लिए सार्वजनिक रूप से किए गए अपमानजनक कृत्यों को दंडित करने के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 अधिनियमित किया गया था। इसकी धारा 2 में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय झंडे के अपमान अथवा उस के प्रति अनादर के लिए दंड की व्यवस्था है। राष्ट्रीय झंडे के प्रति अनादर का एक कृत्य राष्ट्रीय झंडे को किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के भाग के रूप में प्रयोग करना या उसे गद्दियों, रूमालों, नेपकिनों या किसी ड्रेस सामग्री पर काढ़ना या छापना है।

सामान्यतया आम नागरिकों और विशेषतया खिलाड़ियों से समय-समय पर यह मांग होती रही है कि वे अपनी ड्रेस, हेडगीयर, टी-शर्ट, वैस्ट आदि पर राष्ट्रीय झंडे को प्रदर्शित कर उसके प्रति अपना प्रेम और स्नेह व्यक्त करना चाहते हैं। गृह मंत्रालय से संबंधित विभागीय संसदीय समिति का भी यह विचार था कि उक्त अधिनियम की धारा 2 के स्पष्टीकरण 4 (ङ) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध आम जनता और खिलाड़ियों को हतोत्साहित करने वाले हैं।

इसलिए यह प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (2003 में संशोधित) की धारा 2 के नीचे स्पष्टीकरण 4(ङ) में संशोधन किया जाए ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि जनता अपनी पोशाक पर सम्मानपूर्वक ढंग से राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग कर सके और साथ ही यह सुरक्षा उपाय भी किया जा सके कि राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के भाग के रूप में या कमर के नीचे पहने जाने वाली किसी प्रकार की वस्तु पर न किया जाए और न ही गद्दियों, रूमालों, नेपकिनों, अंगवस्त्रों या किसी ड्रेस सामग्री जैसी दैनिक उपयोग की किसी वस्तु पर कढ़ाई या छपाई के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाए।

श्रीमान्, इन शब्दों के साथ, मैं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005 और भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक, 2005 को इस माननीय सदन द्वारा अनुमोदित किए जाने की संस्तुति करता हूं।

The questions were proposed.

श्री उपसभापति: श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया जी, बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री माणिक राव गावित: महोदय, दूसरा बिल भी है। ...(व्यवधान)... ठीक है। ...(व्यवधान)... महोदय, मैंने ये दोनों बिल सदन के पटल पर विचार के लिए रख दिए हैं।

श्री उपसभापति: श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया जी, बोलिए।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): उपसभापति महोदय, मैं गृह राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयकों, ''राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005'' और ''भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक, 2005'' अर्थात् "The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2005" and "The State Emblem of India (Prohibition of improper Use) Bill, 2005" का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, वैसे तो यह बिल स्वाधीन भारत के साथ-साथ जब यह सारा कुछ बना, तो हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान, राष्ट्रीय गौरव से जुड़ी हुई चीजों की सुरक्षा के लिए या उसके सम्मान के लिए, बहुत कुछ पहले विधेयक में ही कहा गया।

[उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) पीठासीन हुए]

महोदय, 1971 में भी विधेयक में संशोधन किया गया। उसके बाद 2003 में तत्कालीन गृह मंत्री, माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी एक विधेयक प्रस्तुत किया और अंतत: 2004 में स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हुआ और 2005 में यह विधेयक सदन के सामने आया है।

महोदय, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, जो 1971 का है, उसमें भी संशोधन लाना है। मैं जब ये सारी चीजें पढ़ रहा था, तो मुझे राष्ट्रीय गौरव के साथ-साथ बहुत सारी चीजें याद आईं कि हम संशोधन भी ला रहे हैं तो बड़े अजीब तरीके से ला रहे हैं। पहले इसका अपमान करने पर 500 रुपए का फाइन था, आज इसका अपमान करने पर 5 हजार रुपए का फाइन है। पहले कोई आदमी जेल जाने से बचने के लिए 500 रुपए भुगतता था तो आज 5000 रुपए भुगतेगा। बात कानून की नहीं है, बात तो जनता के जागरण की है, उनके मन में यह भावना, यह सम्मान जगाने की है। महोदय, जहां तक सम्मान जगाने की बात है, तो मुझे स्मरण आता है कि जो हमारा राष्ट्र गान है, जिसका सम्मान करना चाहिए, जब यह नेशनल एंथम स्वीकृत हो रहा था, तो तत्कालीन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इसके खिलाफ केस कर दिया। केस यह किया कि यह राष्ट्रीय गान नहीं हो सकता। यह केस बहुत वर्षों तक चलता रहा। कम्युनिस्ट पार्टी केस चलाती रही और अंतत: केस में परास्त हो गई। इसके बाद यह राष्ट्रीय गान का, नैशनल एंथेम का हिस्सा बना। महोदय, यही कारण है कि देश को स्वाधीन करने के लिए जिस राष्ट्र-गौरव और जिस राष्ट्र-गान या राष्ट्र-स्वाभिमान की बात हम करते हैं, तो दो नाम राष्ट्रीय संगीत या राष्ट्र-गान के रूप में उभरकर आते हैं- एक श्री बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय और दूसरा रवीन्द्र नाथ टैगोर। रवीन्द्र नाथ टैगोर ने जन-गण-मन लिखा और बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय ने वन्दे मातरम लिखा। उस वन्दे मातरम को भी गाने के लिए या बोलने के लिए लोगों के मन में संकोच होता रहा और लोगों को

बताने के लिए भी, कि वंदे मातरम् का मतलब, यह संस्कृत का शब्द कोई ऐसा शब्द नही है, जिससे किसी का अपमान हो रहा हो या किसी का धर्म भ्रष्ट हो रहा हो। यदि उसको ऊर्दू में मैं कहू, तो बंदे मातरम का मतलब है- मादरे-वतन मुझे तेरा सलाम या मादरे वतन की इबादत करना, उसकी वंदना करना। फिर भी अपभ्रंश फैला। मुस्लिम लीग के दबाव पर उस वक्त के तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं ने इसके जो पांच स्ट्रेन्जा थे, वे काट डाले और काटकर इसे सीमित कर दिया गया और वह सीमित होकर आज रह गया वंदे मातरम्। जब हमारी सभा शुरू होती है और जब साइना-डाइ होती है, तो दोनों वक्त इसकी धुन को बजाया जाता है और वह सीमित अवस्था में बजाया जाता है।

महोदय, मैं यह क्यों कह रहा हूं? उसका कारण यह है कि जिस वक्त हमारे पूर्व पुरुषों ने संविधान बनाया था, तो संविधान में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में या राष्ट्रीय गान के बारे में कुछ लिखा ही नहीं था। उन्होंने संविधान में सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा, मगर फंडामेंटल ड्युटीज के बारे में हमने 25 वर्षों के बाद लिखा। जब 25 वर्षों में यह 42वां संशोधन आया, तब जाकर आर्टिकल 51(ए) में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने के लिए लिखा गया कि एक भारतीय नागरिक की यह फंडामेंटल ड्यूटी भी है और उसे परफोर्म करना है।

महोदय, जब मैं इस पूरे संशोधन को पढ़ रहा था, देख रहा था, इसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे देश में जैसे यह एक सौ रुपए का नोट है, इस सौ रुपए के नोट में 17 भाषाओं में लिखा हुआ है - एक सौ रुपया। यह एक सौ रुपया 17 भिन्न-भिन्न भाषाओं में लिखा है, जैसे एक सौ टका, एक सौ टाका, एक सौ रुपए, एक सौ रुपल्ली, वगैरह-वगैरह। जिस भाषा में जिस जिस तरह से उसको कहा जाता है, वैसे-वैसे एक भाषा में लिखा हुआ है। आज जब हम यह संशोधन कर रहे हैं, तो यह जो राज्य प्रतीक है - अशोक स्तंभ, इसके नीचे जो लिखा है - ''सत्य मेव जयते'', इस सत्य मेव जयते का भावार्थ अगर कोई रीजनल एरिया का आदमी अपनी रीजनल लेंगुवेज में बिना कोई परिवर्तन किए लिखना चाहता है, तो उसे लिखने की अनुमति होनी चाहिए। मगर इसके लिए आज तक रुकावट थी। सवाल उठे थे और सवाल उठ रहे हैं कि वह सत्य मेव जयते को अब तमिलनाडु के लोग नहीं समझ रहे हैं या कर्नाटक के लोग हो सकता है कि संस्कृत भाषा को समझते हों, परन्तु केरल के मलयाली लोग सत्य मेव जयते का अर्थ मलयाली में लिखना चाहते हैं, तो उसमें रुकावट रही है। इस रोक को हटाने की जरूरत थी और जरूरत है।

महोदय, जिस वक्त देश आजाद हुआ, तो कम प्रोविन्स थे, लेकिन आजाद होने के बाद राज्यों का विभाजन हुआ और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुए। आज यह संख्या 30 से बढ़कर ऊपर चली गई है। हरेक राज्य का अपना एक झंडा है, अपना एक निशान है, झंडा तिरंगा ही है, किन्तु वहां का जो निशान है, उस निशान में अशोक स्तंभ का प्रयोग करना जरूरी है। इस बात को हम समझते हैं, देखते हैं, तो हर राज्य के अपने अलग-अलग निशान हैं और जब उन निशानों को देखा

जाता है, तो बड़ा आश्चर्य होता है। महोदय, मैं देख रहा था, मेरे पास 14 ऐसे राज्यों की लिस्ट है, जिन राज्यों ने केन्द्र सरकार से पूछे बगैर या पूछकर या जिनके रिकार्ड अवेलेबल नहीं हैं, अपने एम्ब्लम बनाए हैं। उन 14 राज्यों में मैंने देखा कि 6 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने केन्द्र सरकार को पूछा ही नहीं और एम्ब्लम ऐप्रूव कर दिया और उस एम्ब्लम का तत्संबंधन, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय गौरव है, उससे मिलता है या नहीं मिलता है, इसका ख्याल नहीं किया। 4 राज्य ऐसे हैं, जिनका कि रिकार्ड ही अवेलेबल नहीं है कि उन्होंने केन्द्र को लिखा था या नहीं लिखा था और अपने यहां भी कैसे फैसला किया था। सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने केन्द्र सरकार से परमिशन ली थी। इन 14 राज्यों का गठन हुए एक जमाना हो गया और इन्होंने अपने-अपने सिम्बल बनाए, एम्ब्लम बनाए और केन्द्र सरकार को पता ही नहीं। जब मैं केन्द्र सरकार की बिना परमिशन के बने हुए राज्यों के एम्ब्लम को देख रहा था, तो मैंने मिज़ोरम का एम्ब्लम देखा और उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वैसे तो हमारे संविधान के प्रिएम्ब्ल में लिखा हुआ है, जो कहता है:-

> WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a (SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC) and to secure for its citizens...

फिर आगे लिखा है, सर, आर्टिकल 15 में, जो राइट ऑफ इक्वेलिटी की बात करता है, वहां लिखा है:-

> Article 15. Right to Equality:- The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, caste, race, sex, place of birth or any of them.

और, महोदय, आर्टिकल 51(A) में लिखा है:-

> Article 51A. Fundamental duties:- It shall be the duty of every citizen of India:-
>
> 2. to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem.

यह हमारा संविधान कहता है और मैं समझता हूं कि गणतांत्रिक अधिकारों को मानने वाले लोगों के लिए यह भागवत गीता है, कुरान शरीफ है, गुरू ग्रंथ साहिब है, होली बाइबल है, क्योंकि गणतांत्रिक अधिकारों के लिए संविधान ही वही है और उस संविधान की अवमानना कैसे होती है, यह मैं मिजोरम के एम्ब्लम में देखता हूं। मैं देखता हूं कि मिजोरम का जो एम्ब्लम बना है, उसमें क्रॉस का चिन्ह है। वह एक परटिकुलर धर्म की बात कहता है, जो वॉयलेशन ऑफ प्रिएम्ब्ल ऑफ कांस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 15 है, जो वॉयलेशन आफ आर्टिकल 51 (A) है। जिस तरह से खालिस्तान की मांग हो रही थी, कल को अगर खालिस्तान की मांग पूरी हो जाती है या पंजाब सरकार पर दबाव डालकर वहां पर एक ऐसा एम्ब्लम बना दिया जाता

है, जो खालिस्तान का प्रतीक बन जाता है, तो क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अब आपमें से कौन उसका विरोध करेगा, कौन नहीं करेगा, मुझे नहीं मालूम, परन्तु मैं पहला शख्स होऊंगा जो उसका विरोध करेगा। उसी तरह से मैं कहता हूं कि अगर कोई किसी विशेष धर्म की बात करता है और विशेष धर्म की बात करके अपने स्टेट के एम्ब्लम में वैसा चिह्न बनाता है, तो वह दूसरी कम्युनिटी के साथ या पूरे राष्ट्र के साथ अन्याय कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूं। महोदय, जब मैंने यह सवाल अच्छी तरह से ढूंढा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? मुझे केन्द्र सरकार से जवाब मिला कि कोई अधिकार नहीं है। केन्द्र सरकार का कोई अधिकार उसके पास नहीं है कि राज्य सरकार अपने एम्ब्लम को किस शक्ल में बनाए, उसे यह मालूम नहीं है। और उसकी अड़चन क्या है? वह है एक मात्र सर्कुलर और वह सर्कुलर मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं:

> "Copy of the Government of India, Ministry of Home Affairs, Memorandum No. F24/8/49/public, dated 23rd June, 1949, addressed to the Military Secretary to the Governor General of New Delhi.
>
> SUB: State Emblem and Seal.
>
> Ref. Memorandum No. 4915M, dated 3rd June, 1949, from the Office of the Military Secretary to the Governor General on the above subject.
>
> The Provincial Governments are free to adopt distinctive seals of their own, or the Government of India's seal, with such modifications as they made desire. Since the Government of Madras have adopted a distinctive seal of their own, it would be proper for the Governor's Establishment to adopt the seal of the Provincial Government and not the seal of the Central Government."

मेरा कहना यह है कि यह 1949 की बात है।

महोदय, 1949 के बाद क्या हुआ है? 1949 के बाद 26 नवम्बर, 1949 को कांस्टीटयूएंट एसेम्बली ने कांस्टीट्यूशन पास किया। 26 जनवरी, 1950 से वह लागू हुआ। लागू होने पर उसमें आर्टिकल 15 में लिखा हुआ था कि रिलिजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, 'Right to Equality' 1976 में, स्वाधीनता प्राप्त करने के 25 वर्ष के बाद जब 42वां संशोधन लाया गया, तब प्रिएम्बल में 'सेकुलरिज्म' शब्द जोड़ा गया। महोदय, उस समय और उसके बाद जब 42वें संशोधन के अंतर्गत अर्टिकल 51A के तहत फंडामेंटल डयूटीज़ में भारतीय संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करने की बात कही गई, उसके बावजूद भी यह मिलिट्री सेक्रेटरी का ऑर्डर आज तक परिवर्तित नहीं हुआ है और यही कारण है कि हमें पता नहीं है कि हमारे राज्यों में क्या झंडा अपनाया जा रहा है।

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अगर किसी नोट पर 17 भाषाओं में लिख सकता है, जो करंसी सारे देश में चलती है, हम भारत के नागरिक भिन्न-भिन्न राज्यों में रह कर भारतीय कहलाते हैं, हम भिन्न-भिन्न राज्यों में रह कर 'सत्यमेव जयते' और अशोक चक्र का ही सम्मान करते हैं-लेकिन यदि कभी हमारे सिम्बल्स के ऊपर अलग-अलग एम्ब्लम बना कर धर्म का, जाति का अथवा रंग भेद का प्रतिलक्षण होने लगे तो हम में और दूसरों में क्या फर्क हो जाएगा? हमें अपने आप को राष्ट्रवाद की भावना से कूट-कूट कर भरने की जरूरत है और राष्ट्रवाद की भावना हममें हर पहलू और हर कदम पर उठनी चाहिए। वह उठने के लिए जरूरी है कि हमारा राष्ट्रीय चिह्न, हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय गौरव का कारण बनना चाहिए, हमें यह महसूस होना चाहिए, लेकिन आज हमें अपने विधेयकों में लिखना पड़ रहा है कि तिरंगा ऐसे मत पहनिए जो आपके लिए मिनि स्कर्ट हो या अंडरवियर हो या रूमाल अथवा नैप्किन हो, जिसे मुंह पौंछ कर फेंक दें या आपके कुशन कवर हों या टेबल क्लॉथ हो। आज हमें कानून बनाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन महोदय, विधेयक में तो अभी-भी कमजोरियां हैं। कमजोरियां क्या हैं? यह जो अशोक स्तम्भ पर अंकित हमारा राष्ट्रीय चिह्न है, इसका दुरुपयोग कौन करता है? इसका दुरुपयोग तो वही कर सकता है, जो सरकारी अधिकारी है। दुरुपयोग कौन कर सकता है जो सरकारी अधिकारी है या जो रिटायर्ड आदमी है। उपयोग और दुरुपयोग दोनों वही कर सकता है। आपने कानून में लिख दिया, सैक्शन-8 में लिख दिया कि ऐसे लोगों को जिनसे गल्तियां हों उनको प्रोसीक्यूट करने से पहले या उनके खिलाफ केस चलाने से पहले आपको पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी अर्थात् प्रोसीक्यूशन सैंक्शन लेना पड़ेगा। महोदय, मैं पढ़ रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अनादर से निम्नलिखित अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत क्या है:

(क) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का घोर अपमान या तिरस्कार करना; या

(ख) किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के अभिवादन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को झुकाना; या

(ग) ऐसे अवसरों के सिवाय जिन पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सार्वजनिक भवनों पर झुका हुआ फहराया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को झुका हुआ फहराना; या

(घ) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का किसी भी प्रकार के वस्त्र आवरण के रूप में, राज्य अंत्येष्टियों या सशस्त्र बलों या अन्य पैरा सैन्य बलों की अंत्येष्टियों के सिवाय, उपयोग कराना; या

(ङ) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का किसी भी प्रकार की वेशभूषा या वर्दी के भाग के रूप में उपयोग करना, या उसकी कुशनों, रूमालों, नैपकिनों या किसी पोशाक सामग्री पर कशीदाकारी या छपाई करना; या

(च) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर किसी प्रकार का उत्कीर्ण लेखन करना; या

(छ) गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस सहित विशेष अवसरों पर समारोहों के भागरूप, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पूर्व फूलों की पंखड़ियों के सिवाय, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का कोई वस्तु प्राप्त करने, परिदान करने या ले जाने के लिए पात्र के रूप में उपयोग करना; या

(ज) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का किसी प्रतिमा या स्मारक या वक्ता की डैस्क या वक्ता के मंच को ढकने के लिए उपयोग करना; या

(झ) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को साशय जमीन य भूतल को स्पर्श करने देना या जल में घसीटते हुए ले जाना; या

(ञ) किसी यान, रेलगाड़ी, नाव या वायुयान या ऐसी ही किसी अन्य वस्तु के छत्रक या शिखर और पार्श्व भागों या पृष्ठ भाग पर या उस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आच्छादित करना; या

(ट) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का किसी भवन को ढकने के लिए उपयोग करना; या

(ठ) साशय भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के ''केसरिया रंग'' का नीचे की ओर प्रदर्शन करना।

[श्री उपसभापति पीठासीन हुए]

मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि साशय भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केसरिया रंग को नीचे की ओर प्रदर्शन करना। महोदय, कल आपने टी॰वी॰ पर देखा होगा और आज अखबारों में पढ़ा होगा, हमारे देश के माननीय वाणिज्य मंत्री श्री कमल नाथ जी जिन्होंने डब्लू॰टी॰ओ॰ में जाने से पहले कल कहीं पर पत्रकारों की एक बैठक बुलाई थी, उनको वे डब्लू॰टी॰ओ॰ के बारे में ब्रीफ करना चाहते थे और वहां पर जो झण्डा था वह उल्टा लगा हुआ था। झण्डा उल्टा लगा हुआ था और वे वाणिज्य मंत्री हैं, हांगकांग गए हैं डब्लू॰टी॰ओ॰ का डिसकशन करने और मुझे डर है कि कहीं वे वहां भी झण्डा उल्टा न कर दें। जो झण्डा उल्टा लगा हुआ था वह अभी तक जब मैं सदन में बोल रहा हूं उस पर अभी तक भी मंत्री महोदय का खेद व्यक्त नहीं हुआ, अभी तक यह खेद व्यक्त नहीं किया और उसके लिए सजा है। महोदय, आज हम इस विधेयक को पास कर रहे हैं और हम यह किस के लिए कर रहे हैं और सजा का प्रावधान ला रहे हैं, सर 1971 के ...(व्यवधान)...

अगर हरीश रावत जी को केसरिया रंग पहचानने में डर आ रहा है तो वे मेरी पगड़ी का रंग देख लें कि वह क्या है। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): अहलुवालिया जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, पर जो इन्होंने कल का उल्लेख किया, तो कोई जानबूझ कर किसी भी सरकार का मंत्री ऐसा कभी नहीं कर सकता तथा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान रखता है। मैं तो एक चीज कहूंगा ...(व्यवधान)...

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): कल तो हुआ है।

श्री आनन्द शर्मा: जी, हुआ है, आपने ठीक कहा। मैं इसीलिए बड़े अदब के साथ, बड़े सम्मान के साथ आपको कहता हूं कि हर दल का, हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रध्वज का सम्मान करे। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: आप तो पार्टी के स्पोक्समैन हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्मा: आपने जब कर्णाटक के अंदर तिरंगा रैली निकाली थीं ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सरकार ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्मा: बीजेपी ने जब कर्णाटक के अंदर तिरंगा रैली निकाली थी, तो राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ था। ...(**व्यवधान**)... उसमें कौन थे, आपके कार्यकर्ता थे, नेता थे। ...(**व्यवधान**) ... वे ट्रेन में उसके ऊपर सोये ...(**व्यवधान**)... आपकी पार्टी के नेता, जो मंत्री रहे, सांसद रहे, उन्होंने तिरंगे को उल्टा खींचा। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सरकार के प्रवक्ता ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आपने बोल दिया, अब आप नेक्स्ट आइये। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: महोदय, मैं कहता हूं कि ...(**व्यवधान**)... मैंने ''क'' से ''घ'' तक पढ़कर इसीलिए सुनाया। ...(**व्यवधान**)... इसीलिए पढ़कर सुनाया, चाहे किसी भी पार्टी का सदस्य हो, चाहे किसी सरकार का मंत्री हो, भारत का कोई नागरिक हो, अगर इन चीजों का कृत्य करता है, वह निंदनीय है और उसकी निंदा करनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री जय राम रमेश (आन्ध्र प्रदेश): आरएसएस ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं। Nothing is going on record ...(**व्यवधान**)...

श्री हरीश रावत: *

श्री जय राम रमेश: *

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: उसकी निंदा करनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप छोड़िये। ...(**व्यवधान**)... डिबेट हो रही है। प्लीज ...(**व्यवधान**)... यहां वह डिसकशन नहीं हो रहा है। यहां ऑनर आफ द नेशनल फ्लैग पर डिसकशन हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... रावत जी, बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)... आप बोलिये। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सर, पंडित जय राम रमेश जी और पंडित आनन्द शर्मा जी, इन दोनों को मैं बताना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... आर॰एस॰एस॰ क्या करती है, उसका अगर आप

*Not recorded.

एक कण भी कर दें, तो भारत राष्ट्र ओत-प्रोत हो जाये ...(व्यवधान)... किंतु आप कर नहीं सकते हो। ...(व्यवधान)... उस पवित्रता ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: अहलुवालिया जी, आप अच्छा बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सर, बंगाली में एक कहावत है -चोरे न...। (कृपया बंगाली कहावत को भर दें।) जो मन से विभ्रांत लोग होते हैं, वे धर्म की बात नहीं सुनते हैं, जो राष्ट्रवाद से कोसों दूर हैं, उनको राष्ट्रवाद से क्या लेना-देना। ...(व्यवधान)... उनका राष्ट्रवाद से क्या लेना-देना है? ...(व्यवधान)... जो संकीर्ण होकर ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: क्विट इंडिया मूवमेंट में ...(व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या किया। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप विषय से ...(व्यवधान)... आनन्द शर्मा जी, आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... यहां पर नेशनल Emblem और नेशनल फ्लैग की बात हो रही है और आप इसको कहां ले जा रहे हैं, आप कहां-कहां जा रहे हैं? ...(व्यवधान)... श्री आनन्द शर्मा जी, आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: आपने इस सदन के लिए भी इस सदन के लिए भी इस बात को कहा। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आनन्द शर्मा जी, देखिये। चेयर की इजाजत के बिना नहीं बोल सकते। ...(व्यवधान)...आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... अहलुवालिया जी, ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: क्विट इंडिया मूवमेंट की बात...।

श्री उपसभापति: आप छोड़िये। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, उन्होंने बात कही है, इसलिए मैं जवाब जरूर दूंगा। ...(व्यवधान)... जो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: जिसका जब मन करता है, उठकर बात करते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: *

श्री उपसभापति: देखिये यह सब रिकार्ड में नहीं आयेगा। ...(व्यवधान)... It is irrelevant to the subject. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: *

---

*Not recorded.

6.00 P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is irrelevant. ...*(Interruptions)*... All this will not go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA:*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already deleted his remarks. ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record. ...(व्यवधान)...मैंने बोल दिया है। ...(व्यवधान)... आप विषय पर बोलिए। ...(व्यवधान)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing will go on record. ...(व्यवधान)... आप भी बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... आप भी बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: *

श्री उपसभापति: आनन्द शर्मा जी, आप भी बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... देखिये, आनन्द शर्मा जी, जब आप बोलना चाहें, तो जरूर बोलिये। ...(व्यवधान)... नहीं, नहीं आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: हम टोका-टाकी नहीं करना चाहते। मैं तो कह रहा था कि अच्छा बोल रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: अगर आप बोलेंगे तो ...(व्यवधान)... देखिए ...(व्यवधान)... प्लीज़ आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: बात इन्होंने आरम्भ की है। हम तो चुपचाप सुन रहे थे। अगर ये गलत बात करेंगे, तोड़-मरोड़कर रखेंगे, देश को गुमराह करेंगे तो सच्चाई सामने लानी पड़ेगी। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: सच्चाई सामने लाने का तरीका अलग है। यह तरीका नहीं है। ...(व्यवधान)... आप बैठिए प्लीज़।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, just a minute.

SHRI S.S. AHLUWALIA: No. I am not yielding, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): उपसभापति महोदय ...(व्यवधान)...

---

*Not recorded.

श्री उपसभापति: अब आप क्या कह रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल): बहस का ...(**व्यवधान**)... हो रहा है, आप उनको बिठाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री मूल चन्द मीणा: मैं अहलुवालिया जी से यह पूछना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: मीणा जी, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... आप मेहरबानी करके ईशू के ऊपर बात करिए and when an hon. Member is speaking, please do not interrupt. *(Interruptions)*

श्रीमती माया सिंह: उपसभापति जी, सत्ता पक्ष के लोगों का ऐसा आचरण समझ में नहीं आता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आनन्द शर्मा जी, अब आप प्लीज़ बैठिए। ..(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्मा: हमने शुरू नहीं किया ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: उपसभापति महोदय, मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि ऐसे विधेयकों की जरूरत तो तब पड़े जब हमारे भारतीय नागरिक विभ्रांत हो जाएं, देश प्रेम और राष्ट्रवाद की भावना से अलग हो जाएं। पर हमने पिछले 50-55 वर्षों में देखा है कि अलगाववाद की ताकतें बढ़ी हैं, आतंकवाद की ताकतें बढ़ी हैं और इनके बढ़ने के पीछे कारण क्या हैं, उसकी पृष्ठभूमि पर हमने कभी विचार नहीं किया। उसका मूल कारण है कि हम राष्ट्रवाद और देश प्रेम से अलग हटे हुए थे। हमने भारत की जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए कभी सब्सिडी का नारा दिया, कभी उनको डोल बांटने का नारा दिया। हमने जो गुड़ती, कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको मधु खिलाया जाता है। कहते हैं कि मधु खिलाया जाए तो वह गुड़ती होती है, दादी खिलाती है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: घुट्टी कहते हैं।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: हमारे यहां गुड़ती कहते हैं आपके यहां घुट्टी कहते हैं, हमारे यहां गुड़ती कहते हैं और वह इसलिए खिलायी जाती है - दादी खिलाती है - कि वह परिवार के संस्कारों को लेकर आगे चले। हम आज भी लड़ रहे हैं कि इतिहास की पुस्तकों में क्या पढ़ाया जाए? हम आज भी लड़ रह हैं कि तिरंगे का सम्मान करना सिखाया जाए या नहीं सिखाया जाए, वंदे मातरम् गाया जाए या नहीं गाया जाए, जन-गण-मन गाया जाए या न गाया जाए। वंदे मातरम् कहने से धर्म परिवर्तन हो जाएगा या धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसी सोच लेकर चलने वाले लोग इस देश में अभी भी हैं।

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान): ऐसा कोई नही बोलता है, सिर्फ आप बोलते हैं। ... (**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: महोदय, मेरा कहना है कि आज...

श्री हरीश रावत: (उत्तरांचल): सर, मैं अहलुवालिया ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: रावत जी, प्लीज ...**(व्यवधान)**...

श्री हरीश रावत: ये एक्स कांग्रेस मैन रहे हैं, ये जानते हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: वे जानते हैं आप बैठ जाइए। ... **(व्यवधान)**... वह सब जानते हैं। ... **(व्यवधान)**...

श्री हरीश रावत: कांग्रेस की हर मीटिंग वंदे मातरम् से शुरू होती है और राष्ट्रगान पर समाप्त होती है। ... **(व्यवधान)**...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: हरीश रावत जी, मै कांग्रेस की मीटिंग की बात नही कर रहा। ... **(व्यवधान)**... मैं कांग्रेस की मीटिंग की बात नहीं कर रहा । ... **(व्यवधान)**...

श्री हरीश रावत: बीजेपी में आते ही संस्कार भी भूल गए। ... **(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप लोग कब तक बैठना चाहते हैं? ... **(व्यवधान)**...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: आप अपने सिर पर क्यों ले रहे हो? ... **(व्यवधान)**... मैं किसी पार्टी का नाम ले ही नहीं रहा हूं, अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? ... **(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: आप कांग्रेस सेवा दल में रहकर सेवा करा रहे हो या सेवा कर रहे हो, मैं उसको नहीं बोल रहा। ... **(व्यवधान)**... मेरा कहना है कि

श्री उपसभापति: आप बीच-बीच में क्यों ... **(व्यवधान)**...

श्री हरीश रावत: नये-नये मुल्ला हो न। ... **(व्यवधान)**...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: नए-नए मुल्ला तुम बने हो। ... **(व्यवधान)**... आप बने हो, सैक्युलरवाद के साथ में। हमारे तो खून में रंगा हुआ है, देश प्रेम। हमारा तो खून है। हमने खून देकर ... **(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: अहलुवालिया जी, देखिए ... **(व्यवधान)**...

श्री संतोष बागड़ोदिया: सिर्फ आपके खून में नहीं है, यहां जो लोग बैठे हैं, सबके खून ... **(व्यवधान)**...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: कम से कम आपके तो नहीं है ... **(व्यवधान)**... आपका तो है नहीं ... **(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ahluwaliaji, please speak on the subject.

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सबजैक्ट पर ही बोल रहा हूं ... (**व्यवधान**)...

श्री संतोष बागड़ोदिया: देश प्रेम केवल आप ही के खून में नहीं हैं, ... (**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: प्लीज़ बोलिए। ... (**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सर, आप क्या कर रहे हैं? ... (**व्यवधान**)... आप बोल दीजिए, हम बंद कर देते हैं। ...(**व्यवधान**)... आप बोल दीजिए, हम बंद कर देते हैं। ... (**व्यवधान**)... अगर राष्ट्रवाद की ... (**व्यवधान**)... जिन लोगों को राष्ट्रवाद की बात सुननी बड़ी बुरी लगती है तो राष्ट्रवाद का ... (**व्यवधान**)... कितना बुरा लगेगा ... (**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: बुरी किसी को क्यों लगेगी? ... (**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: वैसे ही तकलीफ हो रही है। ... (**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आपका कहना बुरा लग रहा है, राष्ट्रवाद बुरा नहीं लग रहा ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: कहना क्यों बुरा लग रहा है? ... (**व्यवधान**)... क्या मैं देशद्रोही हूं? फिर मेरा कहना क्यों बुरा लग रहा है? ... (**व्यवधान**)...

श्री संतोष बागड़ोदिया: किसने कहा, अपने आप बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: उनको बुरा लगा ... (**व्यवधान**)... उसके लिए आप क्या करेंगे? ... (**व्यवधान**)... आपको जो बोलना है, बोलिए। ... (**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: राष्ट्रवाद पर बात कर रहा हूं तो तकलीफ हो रही है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The issue is being diverted.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: महोदय, जिस तरह से बच्चा पैदा हो, तो वह गुडकी खाता है, उसी तरह से यदि वह संस्कारों से ओत-प्रोत हो, तभी वह भारतीय संविधान का संरक्षण कर सकता है। ये लोग देश-प्रेम और राष्ट्रवाद की भावना से जब तक ओत-प्रोत नहीं होंगे, तब तक ऐसे विधेयक यहां पास होते रहेंगे, पर इनको मानेगा कोई नहीं–यह मेरा यह कहना है। अगर इसको मनवाना है, तो लोगों को अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा और उनमें श्रद्धा जगानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक उनको अपनी पताका पसंद नहीं, जब तक उनको अपने झंडे पर स्वाभिमान नहीं होगा, वे राष्ट्र के लिए क्या करेंगे? कारगिल की लड़ाई में जो सैनिक शहीद हो गए या जो फौजी शहीद होते हैं, वे इसी राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा के लिए शहीद होते हैं। जब उस राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा हो, तो उस पर विचार नहीं होता। महोदय, इस बात को स्टैंडिंग कमेटी में बहुत

गंभीरता से लिया गया और गंभीरता से लेते हुए कहा गया कि हर राज्य का जो सिम्बल है, जो राष्ट्रीय चिह्न है, हमारा जो राष्ट्रीय चिह्न है, वह सारनाथ के अशोक स्तंभ को लिया है। अशोक स्तंभ के उस हिस्से को जहां पर तीन शेर दिखाए गए हैं, जो अपनी पीठ जोड़कर खड़े हैं, उसका अपमान दिन-पर-दिन हो, जो कि हमारा स्वाभिमान है, उसके पीछे कारण यही है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। मैं हरेक पार्टी से कहूंगा कि यह सिर्फ सरकार के अधिनियम पास करने से नहीं होगा। अपनी पार्टी की मीटिंगों में जाकर, जो जनता आपको सुनने के लिए आती है, आप अपनी आइडियोलॉजी भी उनको समझाइए, पर उसके साथ-साथ राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी समझाइए, देश-प्रेम की आइडियोलॉजी समझाइए और इसके गौरव के लिए, इसके स्वाभिमान के लिए मर-मिटने की आइडियोलॉजी समझाइए। महोदय, स्टैंडिंग कमेटी की जो रिकमंडेशन है, उस पर अभी तक विचार नहीं हुआ है और पूरी तरह से यह नहीं आया है। मेरा अनुरोध है कि 1949 का जो ऑर्डर है, वह विदड्रॉ किया जाए। संविधान पास होने के बाद, संविधान को सेक्युलर स्वरूप देने के बाद, संविधान का जो स्वरूप आज खड़ा है, उसके अनुरूप एक circular पास किया जाए और सब जगह एक तरह का ऐसा सिम्बल बनाया जाए, जिसमें लोगों की भावनाओं का तो विचार किया जाए, किंतु साथ ही साथ हमारी राष्ट्रीय भावना का भी विचार उसमें प्रतिलक्षित हो, उसका ध्यान रखा जाए। यह कहते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, वन्दे मातरम्, जय हिन्द!

श्री उपसभापति: अहलुवालिया जी, धन्यवाद। श्री विजय जे॰ दर्डा, बोलिए।...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल): सर, हाऊस कब तक चलेगा?

श्री उपसभापति: यह डिसकशन कनक्लूड होने के बाद। ...(**व्यवधान**)... तीन-चार स्पीकर्स और हैं। ...(व्यवधान)... अहलुवालिया जी ने बहुत समय ले लिया, उसके अनुसार नहीं करूंगा। जो समय allotted है, उसी के अंदर करूंगा।

श्री विजय जे॰ दर्डा (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, अहलुवालिया जी ने राष्ट्र का प्रेम जगाया और अभी हाल ही में बात कही गई कि इसकी ज्योति नागपुर से शुरू करनी चाहिए, तो मैं वादा करता हूं कि यह देश-प्रेम का काम मैं नागपुर शुरू करूंगा ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप अगर हाऊस में शांति रखना चाहते हैं तो इधर-उधर मत जाइए। ...(व्यवधान)... आप नागपुर से हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय जे॰ दर्डा: सर, नागपुर में सिर्फ आर॰एस॰एस॰ ही नहीं है, नागपुर में ''लोकमत'' भी है और हमारा तिरंगा झंडा सिर्फ भारतीय सम्प्रभुता, सत्ता, राष्ट्रवाद और अखंडता का प्रतीक ही नहीं, वरन् भारत की भावनाओं से जुड़ा है, हर भारतीय की भावना से यह जुड़ा हुआ है। हमारी आज़ादी की लड़ाई इसी तिरंगे ध्वज के तले लड़ी गई। लाखों ने इसी ध्वज की कसमें खाकर इसकी शान, आन और मर्यादा के लिए अपनी कुर्बानियां दीं। आज़ादी के संघर्ष के दौरान 'झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा' बच्चे-बच्चे की जुबान पर था, बच्चा-बच्चा यह

गुनगुनाता रहता था। हमारे पूर्वजों ने, 'शान न किसी की जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए' यह कहते-कहते लाठियां खाईं और कालेपानी की सज़ा भुगती तथा इसको सलाम करते हुए, हंसते-हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। आज के दौर में हर भारतवासी के लिए इसकी मर्यादा को समझना बहुत आवश्यक है। देश को मुफ्त में आज़ादी नहीं मिलती है। जो लोग आज़ाद होते हैं, वे लहू के मोल होते हैं। उपसभापति जी, पंडित जी ने कहा कि लता जी के मृदुल कंठ से जब हम यह सुनते हैं, 'ए मेरे वतन के लोगो' तो उनकी यह भावना है कि 'ये शुद्ध रहें, हम सबको लहराओ तिरंगा प्यारा' सुनकर उनकी आंखें छलछला उठी थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने समग्र देश का आहवान करते हुए, लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने का सिंहनाद किया था। आज भी जब लाल किले की प्राचीर पर हमारे प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं तो पूरा देश आजादी की परम्परा का हिस्सा बन जाता है। इस सबके बावजूद आम आदमी को इस परचम से कैसे दूर रखा गया, यह आश्चर्य की बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका निस्तारण करते हुए, हर भारतीय को पूर्ण तिरंगा लहराने का, उसकी गरिमा के साथ जुड़े रहने का अवसर प्रदान किया है। यह बहुत ही हर्ष की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय देकर आम आदमी को तिरंगा फहराने का अधिकार दिया हुआ है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले 4 मई 2005 को हमारे आदरणीय * साहब को पत्र लिखा था। * जिसके अंदर किसी भी प्रकार के तिरंगे प्रतीक को अपनी जैकेट पर लगाने की अनुमति मांगी थी कि हमारे शरीर पर, हमारे कपड़े पर लगाने की अनुमति मिलनी चाहिए। संसद भवन में अन्य किसी लेबल को लगाने की अनुमति नहीं है, लेकिन तिरंगे के प्रतीक को आम लेबल की तरह नहीं लेना चाहिए और हमारे सीने पर सजे राष्ट्रवाद और मातृभूमि की अर्चना की कहानी है, इसे बहाल करना चाहिए। ऐसा मैंने पत्र में लिखा था । जिसके संस्कार हमें अपने-अपने शहीदों से, पंडित नेहरू जी से, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे लोगों से मिले हैं। मुझे इस पत्र का जवाब 25 मई को मिला और उसमें यह कहा गया कि यह लेबल है और आप किसी भी प्रकार का लेबल सीने पर नहीं लगा सकते।

श्री उपसभापति : चेयरमैन साहब के लेटर को यहां मेंशन करना ठीक नहीं है। उसे निकाल दीजिए।

श्री विजय जे॰ दर्डा : सर, मुझे बोलने दीजिए।

श्री उपसभापति : आप बोलिए, लेकिन चेयरमैन साहब का लेटर, जो आपके पास है, उसे यहां लाना ठीक नहीं है। उसे निकाल दीजिए।

श्री विजय जे॰ दर्डा : मंत्री महोदय, यह जो "भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक, 2005" तथा "राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005" लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपसभापति : चेयरमैन साहब की कॉरेस्पॉन्डेंस का जो अंश है, उसे निकाल दीजिए।

*Not recorded.

श्री विजय जे॰ दर्डा : मैं चाहता हूं कि हर भारतीय को राष्ट्र प्रेम प्रदर्शित करने का अधिकार होना चाहिए। राष्ट्र पर्वों के मौकों पर हर नागरिक अपने वस्त्रों से, अपने आवास स्थानों पर राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। सरकार को यह अनुमति भी देनी चाहिए कि हम अपने राष्ट्र के प्रतीक चिह्न ध्वज का इस्तेमाल अपने कमीज, कलम, मेज और लैपल के रूप में गरिमापूर्ण ढ़ग से कर सकें। मैं यह चाहूंगा कि आज केन्द्र या राज्य के हर मंत्री के सीने पर यह तिरंगा लहराता हुआ होना चाहिए स्कूल, कॉलेज, घरों पर यह तिरंगा फहराने का अधिकार होना चाहिए। इससे एक राष्ट्र प्रेम की भावना जागेगी ...(व्यवधान) ... उसका अधिकार मिल गया है, लेकिन अभी उसका प्रचार होना चाहिए यह अजीब बात थी कि हमारे भारत के क्रिकेटरों के हेलमेट से राष्ट्र प्रतीक को हटा दिया गयां जब हमारी टीम विश्व में जाती है तो वह भारतीय टीम कहलाती है। यह प्रतीक चिह्न उनके हौसलों को बुलंद करता है और ऐसे चिह्न को हम वहां से हटा लें, मैं मानता हूं कि यह ठीक नहीं है। यह हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है, यह हमें चेतना देता है, इसके लिए इसमें प्रावधान करना चाहिए। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र कुर्बानी, यह किसी एक की धरोहर नहीं है। कुछ लोग राष्ट्र प्रेम का दूध जरूर पिला देते हैं, होल सेल कांट्रेक्ट ले लेते हैं, किन्तु सांप्रदायिक भावनाएं फैला-फैला कर देश के अंदर भाई-भाई को लड़ाते हैं। क्योंकि आज विशेष रूप से इस तिरंगे की चर्चा हो रही है, तो मैं संसद के माध्यम से चाहूंगा कि उनके मन में भी देश प्रेम की ज्योत जले, ताकि जो ऐसे लोग हैं, जिनका कोई संबंधी नहीं है, जो बेचारे हैं, जिनके घर उजड़ गए हैं, जो बेघर हो गए हैं, वे आगे बेचारे न हों। इसी बात के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE : Sir, while supporting these two Bills, I do not want to add much. I do not think that this is an ocasion, while passing this Bill, to show, exhibit, or make a comparative display of patriotism because patriotism is not a commercial commodity, which has to be shown to the market or to show competitiveness as to who is more patriotic. We believe that those who are born Indians are proud of their country, are proud of their national honour and are proud of their State emblem. It is for us who are public representatives sitting here in the Upper House and Lower House to set an example by our actions rather than mere words so that the children of tomorrow get a lesson to ensure that the national honour and State emblem are honoured. Thank you.

*SHRI S.S. CHANDRAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Prevention of Insults to National Hounour Amendment Bill and the State Emblem of India Bill, 2005. I wish to make a few points on these Bills on behalf of AIADMK.

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

Sir, this winter session, has indeed been a warm session with heated exchanges and debates. So, I do not want to add further heat to that. As far as the Prevention of Insults to National Honour Bill is concerned, it is sought to amend Section 2. It is a welcome amendment because the general public students and sports persons in particular, will be able to have the tri-colour or the national flag on their dress or uniform. It is also mentioned as to which actions constitute insult to national flag.

Sir, in this regard I wish to draw the attention of the hon'ble Minister to a pertinent point. Some time people mistake party flag for national flag. So, I reguest the hon'ble Minister to bring a legislation immediately to ban political party flag that resembles national flag. Then alone naitonal flag will receive its due respect.

Mr. Deputy Chairman, Sir, we all know there is a popular brand of photofilm named Kodak. Some other industry came our with another brand named Kodak. When this was challegned in the court, it was held that two identical or very similar names could not be there. These days, we hear a lot about cloning. We all oppose cloning. But here we find that a political party has a cloned copy of the national flag. That is why national flag is not shown respect at times. Two resembling things are always confused. Once we heard that alook-like of actor-M.P. Shri Shatrugan Sinha had entered the Parliament premises. There was confusion as to who is original. I say all this because, we should not have two very similar flags. I also wish to request the hon'ble Minister that law may be enacted to provide stringent punishment for those who show disrespect to symbols of national honour in the name of religion, language or culture. It is also necessary to see that no flag should resemble the national flag. ...(*Interruptions*)...

Sir, I am not referring to any political party. If you drag me to any controversy, the debate will hot up and I don't wish to do that now. I reiterate my demand to ban having flags resembling the national flag. Before your good self ring the bell, I think you once again and conclude my speech.

SHRIMATI N.P. DURGA (Andhra Pradesh): Sir, I feel it a great honour to speak on these two Bills which help us in using our National Flag and the State Emblem in a more honourable way. At the outset, first of all, I wholeheartedly congratulate Mr. Naveen Jindal, a Member of the Lower House, without whose efforts, we would not have got the opportunity to

*English translation of the orginal speech delivered in Tamil.

unfurl our National Flag on our homes, by private organisations, educational institutions, etc.

Apart from non-statutory instructions issued by the Government from time to time, display of the National Flag is governed by the provisions of the Emblems and Names Act, 1950, and the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971. But, the Flag Code is an attempt to bring together all such laws, conventions, practices and instructions for the guidance and benefits of all concerned. According to the latest Flag Code of India, there shall be no restriction on the display of the National Flag by members of general public, private organisations, educational institutions, etc., except to the extent provided in the Emblems and Names Act, 1950 and the Act which is before us for amendment. We have derived the sanctity of our national Symbols *i.e.,* the National Flag, the State Emblem, the National Anthem, the National Song, the National Calendar, the National Animal, the National Bird and the National Flower from our Constitution. It is true that the history of the National Flag has the history of our freedom struggle.

It is welcome that on 23rd January, 2004, the Supreme Court declared that flying the National Flag is a Fundamental Right under Article 19(1) of the Constitution and the Governnment, through an amendement, which is before us, allowed the use of the National Flag as a portion of costumes, uniform or accessory.

The other point I wish to make is this. I had also raised this when an amendment to the same Act was brought before this very House in 2003 I don't know that what the Ministry has done on the suggestions made by me in 2003. We are honouring the National Flag. But, alas, we have given little recognition to a great patriot, freedom fighter and architect of our National Flag. With your permission, I would just say a few lines on this. In our country, for the first time, we had unfurled our flag on 7th August, 1996, at Green Park in Calcutta. It had got the colours of red, yellow and green, with flowers and written on it 'Vande Mataram.' With some minor changes, almost similar kind of flag was unfurled in 1907. In 1917, one more flag was prepared with 7 stars. But in 1921, the Congress came under the leadership of Mahatma Gandhi and met at Vijayawada in Andhra Pradesh. There, a young patriot, Shri Pingali Venkaiah, prepared our National Flag. He did a lot of research by that time on the Indian Flag and had also written a book called India's National Flag. It was unfurled by the Home Rule Flag Union in Lucknow in 1916. But, when the meeting

of the Congress took place in March, 1921, at Vijayawada, Shri Pingali Venkaiah showed the flag, prepared by him, to Mahatma Gandhi. Bapu liked this flag very much and in 1931 the All India Congress Committee had adopted this flag. But, unofficially, this flag was being unfurled since 1921 in all Congress and other meetings. The only difference between the Flag prepared by Shri Pingali Venkaiah and the present Flag is that now we have got the 'Dharma Chakra' in place of 'Charkha.' Sir, Mahatma Gandhi also liked to adopt the flag as it is but the problem was if you look at any flag from the front side or the back, it had to be identical. If you keep 'Charkha', it cannot be identical. This was one of the main reasons for replacing 'Charkha' with 'Dharma Chakra'. Gandhiji had also written, appreciating Shri Pingali Venkaiah, in *The Young India*. But, what honour have we given to this great patriot? Literally nothing. Now, the time has come and I thought that this is the right occassion to bring this to the notice of the Government of Inida. so, I request, Sir, through you, to the Government to release, at least, a postal stamp and erect a statue of Shri Pingali Venkaiah in the premises of this great democratic institution.

The next point, Sir, is that it is not possible for the Government agencies to keep vigil at every place to see whether the Tricolour is given its deserved respect. So, I suggest for consideration of the hon. Minister that we have guidelines on the National Flag and they must be propagated among the school children and it should be made as a part of curriculum and the print and the electronic media should be used for making citizens aware of the guidelines on the use of the National Flag.

Then, Sir, I now come to the next Bill *i.e.*, The State Emblem of India, 2004. At last, the Government has decided to give a legal framework to the executive instructions pertaining to the State Emblem because these executive instructions do not have any legal sanctity. Sir, I have a concern on the very first Clause of the Bill. Clause 1(2) of the Bill says, 'It extends to the whole of India and also applies to citizens of India outside.' It amuses me. The point is, when you are not able to control the misuse of the State Emblem in India, how are you going to control Indians who are misusing this abroad. An alcoholic beverage company in London embossed the National Emblem on its beer bottle! Not only this, an Australian cuisine used Mahatma Gandhi to promote its non-vegetarian products. We have done nothing. An American company printed photographs of our Gods and Goddesses on lingerie, and a French Company printed Lord Rama on shoes. So, crux of the issue is, I would like to know as to what machinery do you have to control people outside India from misusing the State Emblem.

The other point that I wish to make is this. Sir, the State Emblems is not adopted as has been described in the Appendix of the Bill throughout the country. According to the Home Ministry's own reply, there are some States and Union Territories which have adopted their own Emblem, Some States or Union Territories incorporated the State Emblem of India in their own emblems without modifications and there are also some States and UTs which have incorporated the State Emblem of India with some modifications. And, the Home Ministry said that it needs six months to discuss the issue of using one State Emblem throughout the country with States and the given to the Home Ministry is over because that assurance was given sometime in May/ June, 2005. So, I would like to know from the hon. Minister as to what is the result of discussions held by the Home Ministry with the States and Union Territories.

So, Sir, with these few observations, I support both the Bills moved by the hon. Home Minister. Thank you.

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): माननीय उपसभापति जी, मैं राष्ट्र गौरव अपमान निवारण विधेयक, 2005 और भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक, 2005 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, अभी दर्डा साहब बोल रहे थे, "विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।" महोदय, जब हम प्राइमरी स्कूल में जाते थे तो ये दोनों पंक्तियां हमें सिखायी जाती थीं और इन दोनों पंक्तियों में देश के प्रति सम्मान की भावना, भक्ति की भावना कूट-कूटकर भरी हुई है। इस तिरंगे को हाथ में लेकर महात्मा गांधी के, पूज्य बापू के नेतृत्व में हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। उस में हजारों लोग शहीद हुए और हमें आजादी मिली। अब मैं इस में नहीं जाना चाहता कि आजादी की लड़ाई में किन लोगों ने भाग लिया, किन लोगों ने उसका विरोध किया, किन लोगों ने तिरंगे झंडे को अपना झंडा नहीं समझा। महोदय, यह पूरा देश जानता है कि उस समय कौन आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और कौन आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा था। एक बिल 1971 में पारित हुआ जिस में झंडे का बहुत सीमित उपयोग करने की इजाजत थी उसके पीछे भी कारण था कि अगर उस समय हम उसका पूरा उपयोग करने के लिए इजाजत देते तो शायद कहीं-न-कहीं उसका अनादर या अपमान होता। इसीलिए दंड का भी प्रावधान किया गया।

महोदय, अहलुवालिया जी बोल रहे थे। शर्मा साहब भी बोल रहे थे। अभी भी झंडे का अपमान होता है। पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था कि किसी प्रदेश के एक डी.जी.आई. या आई.जी. लेवल के पदाधिकारी के यहां झंडे में केसरिया रंग नीचे और हरा रंग ऊपर था जबकि केसरिया रंग ऊपर होना चाहिए। अहलुवालिया जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। महोदय, राष्ट्रवाद, देशभक्ति-ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें अहलुवालिया साहब की पार्टी के लोग बोलते रहते हैं। यह अच्छी बात है।

इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, मगर ''कथनी और करनी'' में अंतर नहीं होना चाहिए। जो बात हम कहते हैं, वह सिर्फ दूसरों के करने के लिए नहीं होती। हम दूसरों के लिए नहीं बोलते हैं। दूसरों को कहने से पहले हमें स्वयं उस पर अमल करना चाहिए। वे धर्म की बात कर रहे थे। किसी प्रदेश का जो एम्बलेम है, उसके बारे में कह रहे थे। यह देश सभी धर्मों के लोग हैं यहां हिन्दु, मुमुस्लिम, सिख, ईसाई तरह-तरह के धर्मों लोग हैं और सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। मगर धर्म के नाम पर हम क्या करते हैं? हम धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, एक धर्म के लोगों को दूसरों के धर्म के लोगों से लड़ाते हैं, मार-काट कराते हैं। हजारों की संख्या में बहुमूल्य जानें जाती हैं। ...(व्यवधान)... फिर कहते हैं नहीं-नहीं। यह कौन कर रहा है, इस देश में सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए अहलुवालिया साहब, दूसरों को प्रवचन देने से पहले आप स्वयं इस पर अमल करें, तो यह देश के लिए अच्छा होगा। ...(व्यवधान)... माई किसने बनाया, क्यों बनाया, आप उसका अर्थ क्यों निकालते हैं? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: वे बैठ कर बोल रहे हैं, वह रिकॉर्ड में भी नहीं जाएगा। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: अहलुवालिया जी, आपने तो झंडे पर एक बार बोला ही नहीं। आप तो पूरे देश का चक्कर लगाते रहे, धर्म की बात करते रहे। देश भक्ति और क्या-क्या सब बोलते रहे। आप वह तो करेंगे नहीं। ...(व्यवधान)... इसके बाद देश ने महसूस किया, देश की जनता ने महसूस किया कि यह झंडा जो सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है और हमारे स्वतंत्रता संग्राम का भी प्रतीक है, इस देश के नागरिकों को उसका उपयोग करने का अधिकार मिलना चाहिए। 26 जनवरी, 15 अगस्त, इन अवसरों पर इसका उपयोग करने का अवसर मिलता रहा। हम घरों में लगाते रहे। बच्चे इन अवसरों पर झंडा लेकर प्रभातफेरी करते रहे। हमने महसूस किया कि यह तो गौरव और सम्मान का प्रतीक है। इसीलिए औद्योगिक संस्थानों और दूसरे संस्थानों में लगाने की इजाजत मिली यह बिल है, इसमें हमारे खिलाड़ी हैं, क्योंकि दूसरे देशों में भी इसका प्रावधान है, जो इन्टरनेशनल कंपीटीशन्स होते हैं, जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें जाते हैं, तो उस देश के खिलाड़ी अपने देश का झंडा अपनी कैप में लगाते हैं, अपने ट्रॉजर्स में लगाते हैं। हमारे यहां भी इसकी मांग थी, हमारे खिलाड़ियों की भी मांग थी, यह बिल इसकी अनुमति देता है, इसकी इजाजत देता है। यह होना भी चाहिए था कि हमारा झंडा, जो इस देश के सम्मान का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है, उसे हमारे खिलाड़ी लगाएं। मैं उस बात से सहमत हूं कि लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम अपने झंडे का सम्मान करते हैं। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, वे उसका अपमान नहीं करते। कभी-कभी जो कुछ देखने को मिलता है, अखबारों में पढ़ने को मिलता है, उससे लगता है कि अभी भी, खास कर जो बड़े लोग हैं, उन्हीं के द्वारा कहीं-न-कहीं इसका अपमान होता है। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं, इसके पहले भी मैंने किया है।

महोदय, यह जो दूसरा बिल है, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा। सत्यमेव जयते संप्रतीक में लिखा है, 'सत्यमेव जयते' को देश की किसी भाषा में आप लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई बंधन नहीं है। अहलुवालिया साहब, इसमें धर्म चक्र भी है। इस संप्रतीक चिह्न में धर्म चक्र भी है, सिंह भी है, बैल भी, घोड़ा भी है। आप तो समझते होंगे कि यह बैल किसका प्रतीक है, सिंह किसका प्रतीक है और धर्म-चक्र किसका प्रतीक है? मै समझता हूं कि इस प्रतीक का बहुत सावधानी से उपयोग होना चाहिए, इसका कोई दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हमारा यह प्रतीक या तो सरकारी भवनों पर दिखाई पड़ता है या फिर जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, उन पर दिखाई पड़ता है। इस प्रतीक का किसी भी स्थिति में दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक बार फिर अहलुवालिया साहब से कहना चाहूंगा कि जो सच्चा धर्म है, उसका पालन कीजिए और धर्म के नाम पर हिंसा, खून-खराबा, फसाद मत करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन दोनों बिलों का समर्थन करता हूं । धन्यवाद।

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी (मध्य प्रदेश): सर।

श्री उपसभापति: क्या कहना चाहते हैं आप? अभी तो आप आए हैं।

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी: चूंकि राष्ट्रीय ध्वज और अशोक चक्र का मामला है, मैं इस बहस में इस बिल के समर्थन के लिए अपने आपको शरीक करना चाहता था। आपकी बड़ी मेहरबानी हुई कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

श्री उपसभापति: दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे आप।

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी: सर, मैं डेढ़ मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे लिए यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारा कौमी परचम, जो हिंदुस्तान की खुशहाली की तामीर-व-तरक्की का जामिन है और हर हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन है, इस कौमी परचम की इज्जत और इसके नामो-वकार के लिए मुल्क में एक ऐसी तारीख बनी है, जो तारीख हमारे फौजियों के इसारो-कुर्बानी, हमारे जवानों की मेहनत-व-मुशक्कत और मुलक के तमाम हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले हिंदुस्तानी शहरियों के लिए अपनी जान और अपने प्राण से भी ज्यादा अहमियत रखता है। इस झंडे की इज्जत और वकार की एक ऐसी तारीख बनी कि कारगिल की चोटियों से लेकर, 1965 से लेकर, 1971 से लेकर, जब-जब इस झंडे , की शान पर किसी तरह की कोई नजरेबद लगाई गई और जब भी इस झंडे को दुनिया में हमारी दुश्मन कुव्वतों ने झुकाने की कोशिश की, तो हमारे हिंदुस्तान के बावकार फौजियों ने और हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरियों ने अपने झंडे के ऊपर तन-मन-धन की कुर्बानी देकर उसको इज्जत-व-वकार के आसमान पद पहुंचाया और यह अशोक चक्र हिंदुस्तान की धरती पर हमारे लिए सामाजिक न्याय का प्रतीक बना। आज हमें खुशी है इस बात की, कि इसकी इज्जत-व-बकार के लिए यह बिल लाया गया है, खूदा करें हम इसकी इज्जत-व-वकार के लिए अपनी जिंदगी का एक-एक

लम्हा वक्फ कर दें और हिंदुस्तान का परचम इसी शान के साथ आसमान-ए-इज्जत पर लहराता रहे। मैं इस बिल की हिमायत करता हूं। बहुत-बहुत शुक्रिया।

†[] مولانا عبید اللہ خان اعظمی "مدھیہ پردیش" : سر۔

شری اُپ سبھاپتی جی: کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ابھی آپ آئے ہیں۔

مولانا عبیداللہ خان اعظمی : چونکہ راشٹریہ دھوج اور اشوک چکر کا معاملہ ہے، میں اس بحث میں اس بل کے سرتھن کے لئے اپنے آپ کو شریک کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا ہے۔

شری اُپ سبھاپتی جی: دو منٹ سے زیادہ نہیں بولیں گے آپ۔

مولانا عبیداللہ خان اعظمی : سر، میں ڈیڑھ منٹ میں اپنے بات ختم کر دونگا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے لئے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا قومی پرچم، جو ہندوستان کی خوشحالی اور ہندوستان کی تعمیر و ترقی کا ضامن ہے اور ہر ہندوستانی کے دل کی دھڑکن ہے، اس قومی پرچم کی عزت اور اس کے نام و وقار کے لئے ملک میں ایک ایسی تاریخ بنی ہے، جو تاریخ ہمارے فوجیوں کے ایثار و قربانی، ہمارے جوانوں کی محنت و مشقت اور ملک کے تمام ہندوستان سے محبت کرنے والے ہندوستانی شہریوں کے لئے اپنی جان اور اپنے پران سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس جھنڈے کا عزت اور وقار کی ایک ایسی تاریخ بنی کہ کارگل کی چوٹیوں سے لیکر، ۱۹۶۵ سے لیکر، ۱۹۷۱ سے لیکر جب جب اس جھنڈے کی شان پر کسی طرح کی کوئی نظر بد لگائی گئی اور جب بھی اس جھنڈے کی دنیا کی ہماری دشمن طاقتوں نے جھکانے کی کوشش کی، تو ہمارے ہندوستان کے باوقار فوجیوں نے اور ہندوستان کے باعزت شہریوں نے اپنے جھنڈے کے اوپر تن من دھن کی قربانی دے کر اس کو عزت و وقار کے آسمان پر پہنچایا اور یہ اشوک چکر، جو ہندوستان کی دھرتی پر ہمارے لئے سماجک نیائے کا پرتیک بنا۔ آج ہمیں خوشی ہے اس بات کی، کہ اس کی عزت و وقار کے لئے یہ بل لایا گیا ہے، خدا کرے ہم اس کی عزت و وقار کے لئے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف کر دیں اور ہندوستان کا پرچم اسی شان کے ساتھ آسمان عزت پر لہراتا رہے۔ میں اس بل کی حمایت کرتا ہوا۔ بہت بہت شکریہ۔] "ختم شد"

†[]Transiteration in Urdu Script.

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, एक मिनट।

श्री उपसभापति: देखिए, वर्मा साहब, कांग्रेस पार्टी का टाइम था, इसलिए उन्हें बोलने दिया।

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा : मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं तहेदिल से आपका धन्यवाद करता हूं। इस माननीन सदन के सभी माननीय वक्ताओं ने इस विधेयक का समर्थन किया है, मैं भी समर्थन के लिए ही खड़ा हुआ हूं। मैं जानता हूं कि इस समय माननीय सदस्य सुनने के मूड में नहीं हैं, बहुत समय हो गया है, इसलिए मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करुंगा।

मान्यवर, हमारे यहां पर विद्वान बहन, संसद सदस्या बता रही थीं कि कोई वेंकटैया जी थे, जिन्होंने विजयवाड़ा के कांग्रेसी सम्मेलन में वह ट्राइ-कलर जो हमारा तिरंगा झंडा है, उसको सबसे पहले फहराया था और माननीय हमारे पूज्य बापू जी ने उस तिरंगे झंडे को पसंद किया था, जिसे बाद में कांग्रेस पार्टी ने उसे एडॉप्ट किया। चूंकि यह इतिहास की बात थी, इसलिए मैं इतिहास की एक दो बातें और इसी के साथ जोड़ना चाहता हूं। यह जो हमारा तिरंगा झंडा है, इस तिरंगे झंडे को सबसे पहले तो वास्तव में मैडम भीकाजी कामा जी ने हिंदुस्तान की धरती पर नहीं बल्कि जर्मनी में स्टुवार्ट शहर में वर्ष 1907 में अपनी तीन साड़ियों को फाड़कर के और तीन रंग मिलाकर फहराया था। और उसका एक लम्बा इतिहास है, जैसा कि हमारे साथियों ने बताया। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो गान है, अभी जिस तिरंगे झंडे की बात हो रही थी, उसे हमारे कानपुर के एक पार्षद, स्वर्गीय श्याम लाल जी, ने सबसे पहले रचा था, जिसके बारे में अभी हमारे माननीय भंडारी जी जिक्र कर रहे थे। ऐसा हमारा ध्वज है, जिसके बारे में सभी लोगों ने अभी कहा है।

इसके अतिरिक्त जो हमारा राष्ट्रीय गान है, अभी मैंने पिछले दिनों पढ़ा कि सारे संसार के विभिन्न देशों के जो राष्ट्रीय गान हैं, उनका एक विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि आयरलैंड का राष्ट्रीय गीत सर्वोत्तम है और दूसरे नम्बर पर हमारा राष्ट्रीय गान 'वंदे मातरम्' है, इसे उन्होंने सैकिंड ग्रेड दिया है। लेकिन, हम भारतीयों को लगता है कि हमारा 'वंदे मातरम्' नम्बर एक पर है। दो नम्बर का तो उनका जजमेंट है, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो 'वंदे मातरम्' नम्बर दो पर नहीं, बल्कि एक पर होना चाहिए।

यही कुछ बातें कहकर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The debate on these two Bills is concluded. Reply to the debate and consideration of the Bill will be taken up later.

The House stands adjourned to meet tomorrow, at 11.00 A.M. on 9th December, 2005.

The House then adjourned at forty-seven minutes past six of the clock till eleven of the clock on Friday, the 9th December, 2005.

MGIPMRND—6774RS—13-06-2006.